न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 858/दावा/2018
दायरा 30/08/2018

उनवान

1. रामगोपाल पुत्र रामचरण जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
2. रामचंद्र पुत्र रामचरण जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
3. बालचंद पुत्र रामचरण जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
4. मोहनलाल पुत्र रामचरण जाति गुंसाई नि0 खेड़ा तह0 खानपुर (मृतक का0मु0)
   4/1 गिरिराज पुत्र मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   4/2 महावीर पुत्र मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   4/3 भीमराज पुत्र मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   4/4 पार्वतीबाई पुत्री मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   4/5 बदामबाई पुत्री मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   4/6 मोहनीबाई पत्नि मोहनलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
5. छोटूलाल पुत्र रामचरण जाति गुंसाई नि0 खेड़ा तह0 खानपुर (मृतक का0मु0)
   5/1 रामेश्वर पुत्र छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   5/1 दिनेश पुत्र छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   5/3 कमलेश पुत्र छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   5/4 ममताबाई पुत्री छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   5/5 कविताबाइ पुत्री छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर
   5/6 संतोषबाई धर्म पत्नि छोटूलाल जाति गुंसाई निवासी खेड़ा तह0 खानपुर

— वादी

बनाम्

1. कैलाशबाई पुत्री रामचरण पत्नि गोकुल प्रसाद जाति गुंसाई निवासी खेड़ा हाल पाटून्दा रोड़ बारां
2. मनोहरबाई पुत्री रामचरण पत्नि बालकिशन जाति गुंसाई निवासी पखराना तह0 खानपुर
3. ओमाबाई पुत्री रामचरण पत्नि लालचंद जाति गुंसाई निवासी खेड़ा हाल मोतीनगर बोरखेड़ा कोटा
4. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी
2. श्री चतुर्भुज चौधरी अधिवक्ता – प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक 30/10/2019

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88, 89, 209 अन्तर्गत के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम खेड़ा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 48 की ख0नं0 1590 रकबा 5.04 बीघा आराजी स्थित है। यह आराजी जमाबंदी सं0 2056–2059 में वादीगण एवं प्रतिवादी के पिता रामचरण पुत्र नंदा के खाते दर्ज थी। वादी एवं प्रतिवादीगण के पारिवारिक सजरा के अनुसार वादीगण के पिता रामचरण के पांच पुत्र रामगोपाल, रामचंद्र, मोहनलाल, बालचंद, छोटूलाल व तीन पुत्रियां कैलाशबाई, मनोहरबाई, ओमाबाई जीवित संतान है। पारिवारिक सजरा के अनुसार सभी वारीसान का वादग्रस्त आराजी में हिस्सा 1/8–1/8 बनता है। वादीगण के पिता रामचरण की मृत्यु के उपरान्त उनके खोले गये फौती नामान्तरण संख्या 163 ग्राम खेड़ा दर्ज हुआ है। इस नामान्तकरण को दर्ज करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्रतिवादीगण से आपसी मिली भगत कर बिना वादीगण की सुनवाई किये नामान्तकरण दर्ज किया और तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में भी मात्र प्रतिवादीगण कैलाशबाई, मनोहरबाई, ओमाबाई एवं बेवा कानीबाई का ही नाम रिपोर्ट में अंकित किया जबकि मृतक रामचरण के पांच पुत्र ओर थे, जिनका तत्कालीन पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकन नहीं किया और मिली भगत कर इन प्रतिवादीगण के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर दिया। ग्राम खेड़ा में ही वादी एवं प्रतिवादीगण की अन्य आराजी में नामान्तकरण सं0 36 दर्ज हुआ, जिसमें तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा सभी पांचों पुत्रों सहित तीन लड़कियों का नाम अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है और उस रिपोर्ट के आधार पर ही वादीगण का खाता सं0 215 ग्राम खेड़ा सं0 2052–55 में अंकन दर्ज है। फौती नामा0 सं0 163 तहसीलदार द्वारा बिना किसी जांच, बिना वादीगण की सुनवाई के आपसी मिली भगत से वादीगण को नुकसान पहुँचाने की गरज से निर्णित किया गया है। ऐसा नामान्तकरण वादीगण के अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य है और इस नामान्तकरण से प्रतिवादीगण को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यह नामान्तकरण विधि विरूद्ध व शून्य प्रभावी होने से शून्य घोषित होने योग्य है। इस आराजी में वादी नं0 1, 2, 3, 4/1 लगा0 4/6, 5/1 लगा0 5/6 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य हैं। वादी द्वारा दिनांक 15.01.2018 को किसान केडिट कार्ड बनवाने के लिये पटवारी हल्का से नकलें प्राप्त की तब उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ और उसी दिन प्रतिवादीगण से अपना नाम खाते में दर्ज करवाने के लिये कहा और उनके द्वारा ऐसा करने से मना करने पर वादी कारण दिनांक 15.01.2018 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि ग्राम खेड़ा की ख0नं0 1590 की 5.04 बीघा में वादी नं0 1, 2, 3, 4/1 लगा0 4/6, 5/1 लगा0 5/6 प्रत्येक 1/8 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे और राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अन्य सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें, वह भी वादीगण को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 1, 2, 3 ने जर्ये अधिवक्ता उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुये इकवालिया जवावदावा पेश किया है। वहीं प्रति0नं0 4 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादीगण रामगोपाल गुंसाई, गिरिराज गुंसाई, रामेश्वर गुंसाई, रामचंद्र गुंसाई के बयान दर्ज कराये गये तथा दस्तावेज Exp1 लगायत Exp11 प्रदर्श कराये गये। साक्ष्यवादी बंद की जाकर बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
मानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम खेडा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 48 की ख0नं0 1590 रकबा 5.04 बीघा व जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 247 की 7 किता की 12.07 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के पिता रामचरण के खाते की है, जिनका देहान्त हो चुका है। खातेदार रामचरण के वारिस पांच पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं। खातेदार रामचरण की मृत्यु के बाद ग्राम खेडा में दर्ज नामा0सं0 163 केवल पुत्रियों प्रति0 नं0 1 लगा0 3 के नाम तस्दीक किया गया है, जबकि नामा0सं0 36 सभी पांचों पुत्रों, बेवा, एवं तीन पुत्रियों के नाम तस्दीक किया गया है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने प्रतिवादीगण से मिली भगत करके वादीगण को नुकसान पहुँचाने की गरज से केवल प्रति0 1 लगा0 3 के नाम नामा0सं0 163 तस्दीक किया है जो विधि विरूद्ध होने से वादीगण के अधिकारों पर शून्य घोषित होने योग्य है। हम वादीगण खातेदार रामचरण के वारिस होने से वादग्रस्त आराजी में वादी नं0 1, 2, 3, 4/1 लगा0 4/6, 5/1 लगा0 5/6 प्रत्येक 1/8 हिस्से के खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य हैं। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें प्रस्तुत की हैं तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। वहीं प्रति0 1, 2, 3 ने हमारे दावे को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर हमें वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण के साथ खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे है।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपनी बहस में प्रकट किया कि वादीगण का वाद सही है। हमने इकबालिया जवाबदावा पेश किया है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। वादीगण ने ग्राम खेड़ा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 48 की ख0नं0 1590 रकबा 5.04 बीघा आराजी में खातेदार टीनेंट घोषित होने का यह वाद पेश किया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज Exp1 लगायत Exp11 के अनुसार ग्राम खेड़ा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 48 की ख0नं0 1590 रकबा 5.04 बीघा व जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 247 की 7 किता की 12.07 बीघा आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 के पिता रामचरण पुत्र बजरंगा के खाते की है, जिसका देहान्त हो चुका है। खातेदार रामचरण के वारिस पांच पुत्र एवं 3 पुत्रियां हैं। खातेदार रामचरण की मृत्यु के बाद ग्राम खेड़ा में फौती नामा0सं0 163 दिनांक 28.12.2001 को तहसीलदार खानपुर द्वारा केवल पुत्रियों प्रति0 नं0 1 लगा0 3 के नाम तस्दीक किया गया है। वहीं ग्राम खेड़ा में ही नामा0सं0 36 दिनांक 12.07.1996 सभी पांचों पुत्रों, बेवा, एवं तीन पुत्रियों के नाम तस्दीक किया गया है। नामा0सं0 163 को तस्दीक करते समय पीठासीन अधिकारी ने मृतक के वारिसान की कोई सुनवाई नहीं कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना तो की ही है, वहीं मृतक के पांच पुत्रों का नाम नामान्तकरण में दर्ज नहीं कर भारी भूल की है। ऐसा नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रभाव शून्य है। यहां वादीगण वादी नं0 1, 2, 3, 4/1 लगा0 4/6, 5/1 लगा0 5/6 मृतक खातेदार रामचरण के वारिसान भली प्रकार साबित है। वहीं प्रतिवादीगण ने भी न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये इकबालिया जवाबदावा पेश

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

किया है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से भली प्रकार साबित है। ऐसे में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम खेड़ा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतोनी सं0 48 की ख0नं0 1590 रकबा 5.04 बीघा आराजी में वादी नं0 1 को हि0 1/8, वादी नं0 2 को हि0 1/8, वादी नं0 3 को हि0 1/8, वादी नं0 4/1 लगा0 4/6 को हि0 1/8 में संम्भाग से, वादी नं0 5/1 लगा0 5/6 को हि0 1/8 में संम्भाग से खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है। साथ ही ग्राम खेड़ा के नामान्तकरण सं0 163 दिनांक 28.12.2001 को वादीगण के अधिकारों की सीमा तक शून्य घोषित किया जाता है। अब इस आराजी में पक्षकारान के हिस्से इस प्रकार रहेंगे। वादी नं0 1 का हि0 1/8, वादी नं0 2 का हि0 1/8, वादी नं0 3 का हि0 1/8, वादी नं0 4/1 लगा0 4/6 का हि0 1/8 में संम्भाग, वादी नं0 5/1 लगा0 5/6 का हि0 1/8 में संम्भाग, प्रति0नं0 1 का हि0 1/8, प्रति0नं0 2 का हिस्सा 1/8 एवं प्रति0नं0 3 का हि0 1/8 रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
झानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 30/10/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी झानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
झानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.07 11:44:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: